न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान राजकुमार बनाम रिद्धम आदि

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट क्रमांक 60 /2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
16.03.2023	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्रालवी तलबी हेतु नियत थी दिनांक 13.03.2023 को रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 के प्रार्थना–पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई। अपीलांट ने अपना जवाब प्रार्थना–पत्र एवं अन्य दस्तावे पेश कर दिये थे। विचारण न्यायालय ने अपीलाट को बिना सुने ही रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 के प्रार्थना–पत्र पर बिना किसी आधार के एकतरफा स्थगन आदेश पारित कर दिया है। प्रश्नगत भूमि अपीलाट की खातेदारी है भूमि है जिस पर उसका कब्जा काश्त है। यह भूमि पैतृक भूमि नहीं है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 अपीलांट के परिवार के सदस्य नहीं है। अपितु अपीलाण्ट के भाई रेस्पोडेण्ट सं0 3 विनोद के वारिसान हैं। वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट सं0 3 व 5 द्वारा दिनांक 16.08.2021 को पंजीकृत त्यागपत्र के द्वारा प्राप्त हुई है, जिसमें रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 का कोई हक हिस्सा नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपूर्णीय क्षति, सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला के बिन्दूओं की कोई जांच नही की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। यह अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध भी अपील भी प्रस्तुत की जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2014 (1) राज0 पेज 35 आरआरटी 2016 (2) पेज 1391, आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 712, सीसीसी 2018 (1) पेज 626, डीएनजे 2014 (2) राज0 पेज 826, आरआरटी 2016 पेज 580, आरआरटी 2016 (2) पेज 1084 पेश किया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट के नाम से बतौर खतोदार दर्ज है व उक्त भूमि पूर्व में भूरी देवी पुत्री शेरा के नाम से दर्ज थी। विचरण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के भाई विनोद कुमार के पुत्रों द्वारा दावा प्रस्तुत किया है जबकि अपीलाण्ट की भूमि में उसके भाई का पुत्र का प्रथम दृष्टया कोई हिस्सा नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय के आदेश से यह तथ्य भी साबित है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने की दिनांक 13.03.203 को अपीलांट ने उपस्थित आकर अपना जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये थे परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त जवाब व दस्तावेजों का निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है। निर्णय में केवल मात्र यह कथन किया है कि पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, शपथ पत्र व दस्तावेजों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित है, परन्तु दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला किस प्रकार बनता है यह कोई विवेचन नही किया है इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखंड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2023 द्वारा रोही मौजा चक देईदास पुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 100/90 के खसरा नं. 20 की 5.3750 है0 बारानी वाद भूमि के संबंध में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है एवं पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का 2 माह में निस्तारण करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

16/3/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner